<u>कार्यवाही विवरण</u>

मेसर्स मेडिकेयर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 78, 79, 94 एवं 95 औद्योगिक क्षेत्र कापन, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में प्रस्तावित कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसेलिटी–5 टीपीडी (अधिकतम 25,000 बेड्स से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट 0.160 केजी/डे/बेड की दर से) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 28/11/2016 को समय प्रातः 11.00 बजे स्थान–औद्योगिक क्षेत्र कापन के प्लॉट नं. 78, 79, 94 एवं 95, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरणः–

भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मेसर्स मेडिकेयर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 78, 79, 94 एवं 95 औद्योगिक क्षेत्र कापन, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में प्रस्तावित कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसेलिटी–5 टीपीडी (अधिकतम 25,000 बेड्स से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट 0.160 केजी/डे/बेड की दर से) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र नवभारत, बिलासपुर एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली में दिनांक 27.10.2016 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 28.11.2016 दिन सोमवार को समय प्रातः 11:00 बजे, अपर कलेक्टर, जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता में स्थान–औद्योगिक क्षेत्र कापन के प्लॉट नं. 78, 79, 94 एवं 95, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा, जिला पंचायत कार्यालय–जांजगीर–चांपा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र–जांजगीर–चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर, कार्यालय नगर पालिका परिषद अकलतरा, कार्यालय ग्राम पंचायत कापन, कार्यालय ग्राम पंचायत मुड़पार, कार्यालय ग्राम पंचायत मौहाडीह, कार्यालय ग्राम पंचायत परसदा, कार्यालय ग्राम पंचायत पचारी, कार्यालय ग्राम पंचायत बेल्हाडीह, कार्यालय ग्राम पंचायत बोड़सरा, कार्यालय ग्राम पंचायत अमरताल, कार्यालय ग्राम पंचायत साजापाली, कार्यालय ग्राम पंचायत हाथीटिकरा, कार्यालय ग्राम पंचायत खोंड एवं कार्यालय ग्राम पंचायत महमदपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यू.सी.जेड.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विन्ग, न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सिविल

लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तावित कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसेलिटी परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 28.11.2016 दिन सोमवार, समय प्रातः 11:00 बजे अपर कलेक्टर, जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता में स्थान–औद्योगिक क्षेत्र कापन के प्लॉट नं. 78, 79, 94 एवं 95, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री डी. के. सिंह, अपर कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ डॉ. अनीता सावंत, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् अपर कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

जनसुनवाई में आसपास के प्रभावित ग्राम पंचायतों के जनसैलाब के रूप में उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से अपना विरोध, नारेबाजी बंद करो, बंद करो के नारे लगाये गये। इसके पश्चात् सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **<u>श्री अजय सिंह गौतम, ग्राम–कापन</u>** :–25,000 बेड का प्रदूषण कापन में लाना चाहते हैं। कृषि हमारा जीवन है। कृषि प्रभावित होगा। हम भरपूर विरोध करते है। इसे नहीं खुलने देंगे। ये प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

2. **श्री शंकर गौतम, ग्राम–कापन** :– मैं विरोध करता हूं। यहां पर 25,000 बेड से उत्पन्न कचरा को फेका जायेगा। जिससे यहां पर प्रदूषण फैलेगा। इस प्लांट को नहीं खुलना चाहिए। इस प्लांट का पुरजोर विरोध है। यहां पर अच्छी–अच्छी बातें बताकर बहलाया जा रहा है। यह प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

3. **श्री रामेश्वर पाटले, ग्राम–कापन** :– पूरा जिला का कचरा कापन में लाया जायेगा, जिससे कई तरह की बिमारी उत्पन्न होगी। कापन से इस प्लांट की दूरी 2 कि.मी. बताई गई है, जबकि कापन ग्राम से इसकी दूरी सिर्फ 50 मीटर है। यह जहरीली गैस का प्लांट कापन में नहीं लगने देंगे।

4. **श्री चुन्नी लाल साहू, विधायक**–प्लांट खुलना चाहिए, जो इसके पक्ष में है वह हाथ उठाए, किसी ने हाथ नहीं उठाया, समझ में आ गया कि कोई नहीं चाहता कि यह प्लांट खुले। सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं अधिकारी। कौन जनसुनवाई करा रहा है? यहां किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। कोई विकास नहीं होगा। पूरा जहरीली गैस निकलेगा। आबादी से 2 कि.मी. की दूरी पर बता रहे हैं। क्षेत्र के विधायक नहीं चाहता कि यहां प्लांट लगे। हमारे जन–जीवन को प्रभावित करेगा। जहरीली गैस का प्लांट नहीं चाहिए।

5. **श्री राजेश गोखले, ग्राम–मुड़पार**:–छत्तीसगढ़ में पहली बार कापन में बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट से हमारा नाला जहरीला हो जायेगा। सब चाहते है कि यहां प्लांट न लगे। क्षेत्रीय मुखिया लोग नहीं चाहते कि प्लांट यहां लगे। हम किसान लोग हैं, गन्ना के फैक्ट्री लगाये, टमाटर–सॉस की फैक्ट्री लगाये, शक्कर का कारखाना लगायें। इस उद्योग से गांव का वातावरण को प्रदूषित न करें। यह जहरीली प्लांट नहीं लगना चाहिए। नहीं तो शासन जिम्मेदार होगा।

6. **श्री रामदुलारे गौतम, ग्राम–कापन**:–यहां जो प्लांट लगाया जा रहा है। हमारा मौत का इंतजाम किया जा रहा है, जिससे यहां का वातावरण प्रदूषित होगा। यह प्लांट हमारा सबकुछ ले जायेगा, आने वाले बच्चों की जान ले लेगा। यहां पर प्लांट नहीं लगना चाहिए।

7. <u>**श्री शंकरलाल शांडिल्य, ग्राम–कापन**</u> :–हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, हम ये नहीं चाहते। हम कापन गांव में यह उद्योग नहीं खोलने देना चाहते हैं। यह बात अपने बड़े अधिकारी एवं शासन को बतायें। इस जनसुनवाई की कार्यवाही को निरस्त करने की दया करें।

8. <u>**श्री प्रभाबाई निर्मलकर, ग्राम–कापन**</u> :–2002 में इंदिरा हरेली–सहेली योजना में शासन द्वारा 11 लोगों को 22 डिस्मिल जमीन दिया गया, जो आज तक कहीं मिला नहीं है, तो प्लांट को भी यह जमीन नहीं मिलना चाहिए। हमें प्लांट नहीं चाहिए।

9. <u>**श्रीमती कौशिल्या राजेश ढोसले, सरपंच, ग्राम पंचायत–मुड़पार**</u> :–ये कंपनी नहीं खुलना चाहिए। विरोध करती हूं। कंपनी नहीं खोलने दें। कंपनी के खुलने से नाला का पानी प्रदूषित हो जायेगा, जिससे अनेक बीमारियां हो जायेगी।

10. <u>**श्री संदीप यादव, जिला पंचायत सदस्य, जिला–जांजगीर–चांपा**</u> :–पूरा जनता विरोध में उमड़ पड़ा है। सरकार जमीन छीनकर लूटकर बाहर के आदमी को मालिक बना रही है। कापन का आदमी मालिक नहीं बनता क्या? जो अन्य जगह से आदमी आ रहा है। प्रदूषण धुंआ निकलेगा, उसका विरोध करते हैं। शासन ने गौचर भूमि हमें आज तक नहीं दिया। जमीन हमारा है। सरकार दूसरे को नहीं दे सकता। मैं इस जनसुनवाई का विरोध करता हूं।

11. <u>**श्रीमती गौरी बाई मरावी, सरपंच ग्राम पंचायत–कापन**</u>:–कापन में प्लांट खुलना मना है।

12. <u>**श्री समारू बरेठ, ग्राम–कापन**</u>:–फैक्ट्री का बदबू कितने दूर तक फैलेगा? प्लांट नहीं खुलना चाहिए। बदबू 25 कि.मी. तक जायेगा। इस प्लांट का घोर विरोध करते हैं।

13. <u>**श्रीमती संतोषी गोस्वामी, मितानीन, मुड़पार**</u> :–हम प्लांट का विरोध करते हैं। यह प्लांट गौचर भूमि में लग रहा है। प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

14. <u>**श्री राकेश कुर्रे, ग्राम–कापनः–**</u> प्लांट नहीं चाहिए।

15. <u>**श्री आदित्य सिंह गौतम, ग्राम–कापन**</u> :–हम प्लांट का विरोध करते हैं। प्लांट नहीं खुलने देंगे।

16. **श्रीमती रूखमणी बाई, ग्राम–कापन** :–प्लांट नहीं खुलने देंगे। विरोध करती हूं।

17. **श्री जे. के. यादव, ग्राम–कापन** :–प्लांट नहीं खुलने देंगे। विरोध करता हूं।

18. **श्री विजय कर्ष, ग्राम–कापन** :–प्लांट नहीं खुलने देंगे। विरोध करता हूं।

19. **श्री धर्मासिंह सागर, ग्राम–कापनः–**प्लांट नहीं खुलने देंगे। विरोध करता हूं।

20. **श्री टीकाराम गौतम, ग्राम–कापन**ः–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

21. **श्री अनिल सांडिल्य, ग्राम–कापन** :–रोजगार नहीं चाहिए। प्लांट नहीं चाहिए।

22. **श्री रामरतन अघरिया, ग्राम–कापन** :–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

23. **श्री योगेन्द्र सिंह मानकर, पूर्व सरपंच, ग्राम–कापन**ः–यह मीठा जहर है। कंपनी के विरोध में कापन के साथ आस–पास की जनता है।

24. **श्री सुरेश सिंह गौतम, पंच वार्ड नं. 5, ग्राम पंचायत–कापन** :–औद्योगिक क्षेत्र खोलने के पहले शासन द्वारा कास्तकारों को 25 एकड़ गौचर भूमि दिया जाना था, जो आज तक अप्राप्त है। गौचर नहीं है। कास्तकार आगे बढ़ नहीं पा रहे है। 25 एकड़ जमीन आज तक नहीं दिया गया। क्या बाहरी लोगों को ही प्लांट लगाने की अनुमति है? छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं ? सबसे पहले हमें 25 एकड़ गौचर भूमि दें। हम सबका एक ही स्वर है प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

25. **श्री महेत्तर लाल बरेठ, ग्राम–कापन**–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

26. **श्री मोहन बरेठ, ग्राम–कापन** :–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

27. **श्री उमेंदराम पटेल, ग्राम–मुड़पार**ः–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

28. **श्री लखन लाल सांडिल्य, ग्राम–कापनः**–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

29. **श्री रेशम लाल महिलांगे** :–प्लांट नहीं खुलना चाहिए। कोई भी शर्त में इस प्लांट को नहीं खोलने देंगे।

30. **श्री संदीप साहू, ग्राम–खिसोरा**ः–घोर विरोध, प्लांट नहीं खुलना चाहिए। कोई समर्थन नहीं देता।

31. **श्री शैलेन्द्र पाण्डेय, जांजगीरः–**कापन में फारमेल्टी न निभाई जाये। प्लांट खुलने से पर्यावरण प्रदूषित होगा। लाख विरोध करने के बाद भी पर्यावरण विभाग से एनओसी मिल जायेगी। प्लांट वाले पहुंच वाले होते हैं। यहां पर रायपुर व दिल्ली जाने की बात करते हैं। आदमी से ज्यादा पुलिस आयी है। याद रखें हम

सीधे–सादे लोग हैं बहुत ताकतवर होते हैं। प्लांट की गाड़ियां चलने से रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है, रोज दुर्घटना होती है। वातावरण दूषित हो जाता है, पानी दूषित हो जाता है, बहुत बेरोजगारी है, खेती–बाड़ी करके जीवन चलाते है। प्लांट वाले लोगों को गुमराह करते हैं। सबसे निवेदन है कि अपने हित का, जनता के हित में, पर्यावरण के हित में सब मिलकर विरोध करें। यदि प्लांट खुलता है तो एक–एक घर से एक–एक युवा भी निकलेगा और प्लांट को उखाड़कर रख देगा। हम सब मिलकर विरोध तन–मन–प्राण से पूरी तरह विरोध करते हैं। प्लांट की एक भी ईंट नहीं रखने देंगे।

32. **श्री लक्ष्मीप्रसाद कश्यप, ग्राम–कापन** :–प्लांट का विरोध है प्लांट खुलने नहीं देंगे।

33. **श्री रोहित कुमार पाटले, ग्राम–पचरी** :–प्लांट का विरोध करता हूं।

34. **श्री रेशम लाल प्रधान, ग्राम–साजापाली** :–विरोध, प्लांट नहीं खुलना चाहिए। प्लांट खुलने से कई तरह का प्रदूषण फैलेगा।

35. **श्री नोहर सिंह बरेठ, ग्राम–खोंड** :–फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे।

36. **श्री देवराज डहरिया, पूर्व सरपंच, अमरताल** :– कापन में फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे।

37. **श्री ब्रिजेश सिंह गौतम, ग्राम–कापन**:–कृषक प्रधान गांव है। यह फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए।

38. **श्री दिनेश कुमार पटेल, ग्राम–मुड़पार** :–प्लांट का विरोध करता हूं। छत्तीसगढ़ का युवा पढ़ लिखकर भी बेरोजगार हैं। हमारे जीवन की एक ही साधन है, मैं सब्जी उगाता हूं, प्लांट खुलने से सब्जी नहीं होगी। फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे। हमारे रोजी रोटी मत छीनें।

39. **श्री प्रयागनाथ अघरिया, ग्राम–कापन**:–प्लांट खुलने से कापन के लोग स्वर्गवासी हो जायेंगे। इस प्लांट का हम विरोध करते हैं, हम सब लोग प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखकर विरोध करें।

40. **श्रीमती मंजू सिंह, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, जिला–जांजगीर–चांपा** :–प्लांट लगने के बाद कानून नियम का पालन हो रहा है कि नही, इसको कौन देखेगा? पूरा एरिया इससे प्रदूषित होगी। जांजगीर जिला में ही यह क्यों खुल रहा है?

जांजगीर 74 प्रतिशत कृषि प्रधान जिला है। झूठी एनओसी लेकर प्लांट खोला जाता है। ये लोग अपने मन का करते हैं। कृषि को बर्बाद करके जांजगीर जिला में प्लांट लगाया जाता है। यहां कोई विकास नहीं होगा। सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। आप लोगों को इकट्ठा होकर इसका विरोध करना है। आसपास के खेती भूमि को यह बर्बाद कर देगी। जन सुनवाई की जानकारी पहले से होना चाहिए। प्लांट स्थापित नहीं होने देना है। यदि ये नहीं मानेंगे तो हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे।

41. **श्री लखेश्वर सिंह गौतम, ग्राम–कापन** :–हम सब लोग प्लांट का विरोध करने आये है। एक भी पक्ष में नहीं है।

42. **श्रीमती दुलसिया चौहान, सरपंच,महमदपुर** :–कापन में प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

43. **श्री उमाशंकर नरसिंह, ग्राम–कापन** :–सभी लोग बोलना चाहते हैं। प्लांट नहीं खुलना चाहिए। पूर्ण विरोध है। अस्पताल का कचरा जलायेंगे तो बीमारियां होंगी। कुछ भी हो जाये प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

44. **श्री रामकुमार गौतम, ग्राम–कापन** :–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

45. **श्री बलराज सिंह शांडिल्य, ग्राम–कापन**:–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

46. **श्रीमती अमरीकाबाई कश्यप, ग्राम–कापन**:–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

47. **श्री मुरित राम मेहरा, ग्राम–कापन** :–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

48. **श्री श्याम साय प्रधान, ग्राम–कापन**:–प्लांट का विरोध करते हैं।

49. **श्री भरत पटेल, ग्राम–मुड़पारः**–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

50. **श्री दयाराम पटेल, ग्राम–कापन**:–हम प्लांट का विरोध करते हैं।

51. **श्री रमायण लाल धीवर, ग्राम–मुड़पार**:– प्लांट का विरोध करता हूं।

52. **श्री राकेश बरेठ, ग्राम–कापन** :–प्लांट का विरोध करता हूं।

53. **श्री बाबूलाल** :–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

54. **श्रीमती गायत्री महंत, ग्राम–परसदा, मुड़पार** :–प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

55. **श्रीमती शांति यादव, ग्राम–परसदा** :–प्लांट का विरोध करती हूं।

56. **श्री मनोज कुमार कुर्रे, ग्राम–कापन**:–दिल पर गहराई से चोट कंपनी न करे। कंपनी का विरोध करता हूं।

57. **श्री महेत्तर बरेठ, ग्राम–कापन** :–कंपनी का विरोध करता हूं। किसी भी प्रकार का कंपनी नहीं खुलना चाहिए

58. **श्री संजय कुर्रे, पंच वार्ड नं. 15, ग्राम–कापन** :–प्लांट का विरोध करता हूं।

59. **श्री राजेन्द्र कुमार निर्मलकर, ग्राम–कापन** :–प्लांट नहीं चाहिए। प्लांट का विरोध करता हूं।

60. **श्री ईश्वर दास वैष्णव, पंच वार्ड नं.10 मुड़ापार** :–प्लांट नहीं चाहिए। प्लांट का विरोध करता हूं।

61. **श्री भुवनेश्वर गौतम, ग्राम–कापन**:–प्लांट नहीं चाहिए।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर, जांजगीर–चांपा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, बिलासपुर द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब दोपहर लगभग 1:45 बजे अपर कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्‌दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से डॉ. बी. चक्रधर रामकी केयर, मेसर्स मेडिकेयर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 78, 79, 94 एवं 95 औद्योगिक क्षेत्र कापन, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तावित कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसेलिटी परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्‌दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। दोपहर लगभग 2:00 बजे अपर कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई उपरांत स्थल पर लिखित में **17** सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के समय प्रस्तावित कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसेलिटी परियोजना के संबंध में उपस्थित जनसमूह द्वारा भारी आक्रोश के साथ विरोध दर्ज कराया गया तथा प्रस्तावित के विरूद्ध उद्योग स्थापित नहीं होने देंगे की नारेबाजी सड़क पर की गई एवं आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लोक सुनवाई के दौरान **61** व्यक्तियों के द्वारा

मौखिक विरोध एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग **500** व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल **07** व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है तथा जनसमुदाय द्वारा उपस्थिति पत्रक फाड़ने की बात कहने पर अन्य लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किया। उक्त आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

अपर कलेक्टर
जांजगीर–चांपा